प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5346/विधि संशो0/2020-21 लखनऊ,दिनांक 26 मार्च,2021

विषयः **उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-137/11-6-2021-एम(37)/2017 दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-4(ख) की उपधारा-(4) में संशोधन किये जाने सम्बन्धी, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या-352/79-वि-1-21-क-40-20 दिनांक 05.03.2021 की प्रति प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही/प्रचार-प्रसार के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि अध्यादेश दिनांक 04.11.2020 के माध्यम से किसी मनोरंजन के लाइसेन्स अथवा अनुमति प्राप्त करने की ऑफ लाइन प्रणाली को समाप्त करने और मात्र ऑनलाइन लाइसेंस/अनुमति प्रणाली की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी प्रति कार्यालय के पत्र दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 05.03.2021 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

संख्याः /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-

1- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी (जनपद प्रभारी), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3- डिप्टी कमिश्नर, आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय, गोमतीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय एप्लीकेशन entertainmenttax.azurewebsites.net पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4- गार्ड फाइल।

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

क्रम-संख्या–43 (ज)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

253

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 352/79-वि-1–21-1-क-40-20

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे राज्य कर अनुभाग–6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 4-ख का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 4-ख में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता/सकती है:

परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति तथ्यों के दुर्व्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली या वीडियो आदि के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी में विकास के कारण और कारबार के अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए विनियामक सुधार प्रारम्भ करने हेतु लक्ष्यित भारत सरकार के पहल "कारबार करने की सुगमता" के अधीन लाइसेंस और अनुमति की सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध प्रक्रिया का उपबन्ध करने के लिए सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, वीडियो लाइब्रेरीज आदि की प्रचलित ऑफलाईन प्रणाली को समाप्त करने और मात्र ऑनलाईन लाइसेंस/अनुमति प्रणाली का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

(352)

No. 352 (2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-40-20
Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chalchitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 1, 2021. The Rajya Kar Anubhag-6 is administratively concerned with the said Adhiniyam:

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION)
(AMENDMENT) ACT, 2021
(U.P. Act no. 2 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 4, 2020.

Amendment of section 4-B of U.P. Act no. 3 of 1956

2. In section 4-B of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, for sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted,* namely :-

"(4) The applicant shall submit his/her application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees (if any). If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license or permission shall be granted through the web portal within thirty days and the same shall be sent through e-mail to the applicant. The Applicant may also download the said license or permission from the departmental web portal:

Provided if the license or permission is obtained by misrepresentation of facts or concealment of facts or on the basis of forged documents then such license or permission shall be deemed *null and void* and may be cancelled by the licensing authority or District Magistrate and legal action shall be taken against applicant."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 20 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) has been enacted to regulate the exhibitions of films through cinematograph/digital projection system or video, *etc*.

Due to development in science and technology, and to provide simple, transparent and time-bound process of licensing and permission under the Government of India's "Ease of Doing Business" initiative aimed at introducing regulatory reforms to create a business-friendly environment, it was decided to amend the aforesaid Act to put an end to the prevailing system of offline licensing of cinemas, multiplexes, video libraries, *etc*. and to provide for only online system of licensing/permission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 20 of 2020) was promulgated by the Governor on November 4, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 782 राजपत्र–2021–(1660)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 263 सा० विधायी–2021–(1661)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

782_RPH_2021_(Cinema)-2021 Data-4E